

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/एमएससी/आरयूएचएस/2017-18/2017 /

दिनांक:-

### आदेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2017-18 में दो वर्षीय एम.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण करने हेतु निम्न कर्मियों का चयन किया गया है जिन्हें अपनी उपस्थिति दिनांक 02.11.2017 तक संबंधित कॉलेजों में प्रस्तुत करनी है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	आवंटित कॉलेज
1.	श्री अमिताभ तैवर	नर्स द्वितीय	अधीक्षक, पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर।	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीकानेर (शिशु रोग)।
2.	श्री रूपाराम चौधरी	नर्स द्वितीय	अधीक्षक, पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर।	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीकानेर (गायनी)।
3.	शारदा कुमावत	नर्स द्वितीय	अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अजमेर (सीएचएन)।
4.	मृगनयना चौहान	नर्स द्वितीय	अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अजमेर (सीएचएन)।
5.	श्री रामस्वरूप हरितवाल	नर्स द्वितीय	अधीक्षक, एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर।	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर (मेडिकल सर्जिकल)।
6.	श्री दरियाव रावल	नर्सिंग ट्यूटर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर (शिशु रोग)।
7.	श्री वीर सिंह	नर्स द्वितीय	अधीक्षक, पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर।	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर (शिशु रोग)।
8.	श्री खेमाराम लोयल	नर्सिंग ट्यूटर	एएनएमटीसी नोखा बीकानेर।	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर (शिशु रोग)।
9.	श्री शिशुपाल	नर्स द्वितीय	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर।	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर (शिशु रोग)।
10.	सुशिला गढवाल	नर्स द्वितीय	अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर (गायनी)।
11.	श्री प्रवीण कुमार शर्मा	नर्सिंग ट्यूटर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर।	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर (मेडिकल सर्जिकल)।

संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कार्मिको को निम्न शर्तों के अधधीन प्रशिक्षण के लिये कार्यमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यमुक्त कर निदेशालय को अवगत करावें।

1. नियमानुसार स्वयं का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
2. उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
3. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिका तुरन्त विभाग में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नती/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगी।
5. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
6. नियमानुसार बन्ध पत्र भरना होगा।

- 5d -  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/एमएससी/आरयूएचएस/2017-18/2017 /879

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयोजक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. चेयरमैन, नर्सिंग कौंसिल बोर्ड, 2017-18 एवं रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
4. संबंधित अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

5. संबंधित प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
6. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
7. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
9. आदेश / निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर